

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 20/03/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों के लिए राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित विभिन्न नगर निकायों के लिए राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत स्तम्भ- 4 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के अग्रिम के रूप में कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

| क्र० सं० | जिला | नगर निकाय का नाम | (राशि रुपये में) कुल स्वीकृत राशि |
|---------------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पटना | पटना नगर निगम | 100.00000 |
| योग (क) | | | 100.00000 |
| 2 | नालंदा | बिहारशरीफ नगर निगम | 202.40500 |
| 3 | भोजपुर | आरा नगर निगम | 202.40500 |
| योग (ख) | | | 404.81000 |
| कुल योग (क+ख) | | | 504.81000 |

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/बिहारशरीफ/आरा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक-

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) स्वीकृत कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0115-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217011910115, विषय शीर्ष- 0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 2 एवं 3 पर अंकित नगर निकायों के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल ₹404.81000 लाख (चार करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि से योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 1288, दिनांक- 25.02.2016, विभागीय पत्रांक- 2090, दिनांक- 21.03.2016 एवं पत्रांक- 4548, दिनांक- 16.07.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जिसकी कटौती वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित की जानेवाली राशि से की जाएगी।

(iii) संबंधित, जिला पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iv) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(v) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(vi) योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

8. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०नि०-02-06/2014 के पृष्ठ सं०-... 51...../टि० पर दिनांक-...30.03.2018... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-...52...../टि० पर दिनांक-...30.03.2018... को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-पटना, नालंदा एवं भोजपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम-पटना, नालंदा एवं आरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

[Handwritten Signature]
30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2014 169 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30-3-18
प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-पटना, नालंदा एवं भोजपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम-पटना, नालंदा एवं आरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडा, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना, बिहारशरीफ, आरा ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों के लिए राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र का आवंटन।

पटना, दिनांक-30/3/18

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित विभिन्न नगर निकायों के लिए राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत स्तम्भ- 4 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के अग्रिम के रूप में कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-169 दिनांक-30/3/18 के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

| क्र० सं० | जिला | नगर निकाय का नाम | (राशि रुपये में) कुल आवंटित राशि |
|----------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पटना | पटना नगर निगम | 100.00000 |
| | | योग (क) | 100.00000 |
| 2 | नालंदा | बिहारशरीफ नगर निगम | 202.40500 |
| 3 | भोजपुर | आरा नगर निगम | 202.40500 |
| | | योग (ख) | 404.81000 |
| | | कुल योग (क+ख) | 504.81000 |

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र।

- उक्त आवंटित ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/बिहारशरीफ/आरा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।
- चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक-

18

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त आवंटित राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) आवंटित कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0115-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217011910115, विषय शीर्ष- 0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹504.81000 लाख (पाँच करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 2 एवं 3 पर अंकित नगर निकायों के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 4 में अंकित कुल ₹404.81000 लाख (चार करोड़ चार लाख एकासी हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों का सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

6. आवंटित राशि से योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 1288, दिनांक- 25.02.2016, विभागीय पत्रांक- 2090, दिनांक- 21.03.2016 एवं पत्रांक- 4548, दिनांक- 16.07.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

- (i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (ii) यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जिसकी कटौती वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित की जानेवाली राशि से की जाएगी।
- (iii) संबंधित, जिला पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iv) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(v) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(vi) योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

8. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी-पटना, नालंदा एवं भोजपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2014 170 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30.3.18

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी-पटना, नालंदा एवं भोजपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडा, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई0 मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।